न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बजरंग लाल स्वामी , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर – 2023/287
प्रार्थना पत्र संख्या :– 08/2023

1. नीरू अरोडा पत्नी श्री राजीव अरोडा जाति पंजाबी उम्र 60 वर्ष, निवासी मकान नं. के 12ए, मालवीय मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
2. राजेश अजमेरा पुत्र सिताब चन्द, जाति जैन, उम्र 64 वर्ष, निवासी–15, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
3. राजीव अरोड़ा पुत्र के.के. अरोड़ा जाति पंजाबी, उम्र 65 वर्ष, निवासी मकान नं. के 12 ए, मालवीय मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

– – –प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र घीस्या
2. बद्रीनारायण पुत्र घीस्या
3. श्रीनारायण पुत्र घीस्या

समस्त जाति माली निवासीयान नारद का बाग, ग्राम आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 25.04.2024

संक्षेप में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) तहत इस प्रकार का पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 4079 रकबा 0.0300 हैक्टे, ख0न0 4080 रकबा 0.0700 हैक्टे0, ख0न0 4081 रकबा 0.1200 हैक्टे0, ख0न0 4092 रकबा 0.0700 हैक्टे0, ख0न0 4093 रकबा 0.1400 हैक्टे0, ख0न0 4094 रकबा 0.0900 हैक्टे0, ख0न0 4087/8967 रकबा 0.0300 हैक्टे0, ख0न0 4088/9734 रकबा 0.0100 हैक्टे0, ख0न0 4082/9732 रकबा 0.0200 हैक्टे0, ख0न0 4083/9733 रकबा 0.0200 हैक्टे0, ख0न0 10271/4095 रकबा 0.1272 हैक्टे0, ख0न0 4077/9731 रकबा 0.0200 हैक्टे0, कुल कित्ता 12 कुल रकबा 0.7000 हैक्टे0 वाके ग्राम आमेर, पटवार हल्का आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है, उक्त भूमि में आने जाने हेतु राजस्व नक्शे में रास्ता कटा हुआ नही है, इसलिये प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमियों में आने जाने के लिये रास्ते की

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

4

आवश्यकता होने से प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में खसरा नम्बर 4087 अप्रार्थीगण 01 लगायत 03 की खातेदारी की भूमि मे होकर आते जाते है, जिसको नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित किया गया है। उक्त नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते के अलावा और कही से भी प्रार्थीगण की उक्त भूमि में आने जाने हेतू कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के चारो और अन्य खातेदारों की खातेदारी की भूमि स्थित है तथा रोड के लगवा प्राथीगण संख्या 01 लगायत 03 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 4087 स्थित है तथा नजरी नक्शे में चाहे गये रास्ते के उत्तरी हिस्से पर पुख्ता निर्माण है, इसलिये नजरी नक्शे में वर्णित स्थान में होकर ही पुख्ता रास्ता 251 ए के तहत ख0न0 4087 में से उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सुचारू रूप से उपयोग उपभोग कर सके एवं आवागमन कर सके, अन्यथा उक्त चाहे गये रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने से व अपनी उक्त आराजी भूमि को विकसीत करने से वंचित रह जायेगें। रास्ते की वर्तमान डी.एल.सी. प्रार्थीगण कानूनन जमा करवाने के लिये तैयार है। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो नजरी नक्शे में दर्शित पीले रंग के रास्ते को रोक कर उस पर पुख्ता निर्माण कर प्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि में जाने के रास्ते को अवरोध कर उक्त जगह पर पुख्ता निर्माण करने की फिराक में है एवं प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण 01 लगायत 03 द्वारा रास्ते को अवरूद्ध करने व प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 4087 में होकर नही जाने की धमकियां दी जा रही है इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 4087/8967 व उसके आगे के अन्य खसरा नम्बरान की प्रार्थीगण की भूमियों में आने जाने का रास्ता ख0न0 4087 में से मुताबिक नजरी नक्शे में दर्शित पीले रंग के स्थान में होकर 09 मीटर चौडा व 62 मीटर लम्बा रास्ता शीघ्र अतिशीघ्र नियमानुसार दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की सम्यक तामिल पूर्ण होने के बाद भी अनुपस्थित रहने पर दिनांक 03.01.2024 को इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक आर.ए./2023/288 दिनांक 21.08.2023 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका सार इस प्रकार है–राजस्व रिकार्ड मुताबिक चालु जमाबंदी ग्राम आमेर ख0न0 4079 रकबा 0.03 है0, 4080 रकबा 0.07 है0, 4081 रकबा 0.12 है0, 4092 रकबा 0.07 है0, 4093 रकबा 0.14 है0, 4094 रकबा 0.09 है0, 4087/8967 रकबा 0.03 है0, 4088/9734 रकबा 0.01 है0, 4082/9732 रकबा 0.02 है0, 4083/9733 रकबा 0.02 है0, 10271/4095 रकबा 0.1272 है0, 4077/9731 रकबा 0.02 है0, कुल किता 12 नीरू अरोडा पत्नि राजीव अरोडा हिस्सा 600/40891, राजीव अरोडा पुत्र के

Bsw–
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला– जयपुर

अरोडा हि0 10340/40891 जाति पंजाबी सा0 मालवीय नगर सी0 स्कीम जयपुर, राजेश अजमेरा पुत्र खिताबचन्द हि0 29951/40891 जाति जैन निवासी 15 महावीर मार्ग सी0 स्कीम जयपुर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण उक्त ख0न0 में आने जाने व कृषि कार्य करने हेतु ख0न0 4087 मे से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण के पास उक्त खसरा नम्बरान में आने जाने हेतु कोई भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण किशनलाल, बद्रीनारायण, श्री नारायण पिता घीस्या जाति माली के नाम दर्ज खातेदारी ख0न0 4087 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा की लम्बाई में से नियमानुसार रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के ख0न0 में पहुचने के लिये सबसे छोटा रास्ता है। ख0न0 4087 की दक्षिणी दिशा में ख0न0 4097 स्थित है जिसकी किस्म गै0मु0 रास्ता है व जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर रास्ता चालू है।

हमने उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस का मनन उपरान्त एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा0 03 की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 4087 की पश्चिमी सीमा में उत्तर से दक्षिण दिशा की लम्बाई में नियमानुसार रास्ता दिया जाना न्यायोचित है एवं उक्त रास्ता सबसे छोटा रास्ता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्याय हित में स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण की खातेदारी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 4087 रकबा 0.1300 हैक्ट0 भूमि वाके ग्राम आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित की पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण दिशा की 9 मीटर चौड़ाई तथा 62 मीटर लम्बाई कुल रकबा 558 वर्गमीटर भूमि को गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते की भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी में से कम कर राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता इन्द्राज किया जावे तथा प्रार्थीगण से रास्ते की भूमि की कीमत वर्तमान डी. एल.सी. दर से गणना कर दोगुनी राशि प्राप्त करे एवं अप्रार्थीगण को भुगतान करें। आदेश सुनाया गया।

आज दिनांक 25/04/2024 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bsw

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर